Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 9, 2021 (PHALGUNA 18, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th March, 2021

No. 11-HLA of 2021/17/4967.— The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 11- HLA of 2021

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021. Short title.

2. For sub-section (1) of section 3 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 4th May, 2020, namely:- Amendment of section 3 of Haryana Act 11 of 1994.

"(1) Every Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer:

Provided that all the Gram Panchayats and Panchayat Samitis existing immediately on the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, shall continue till the expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Assembly.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To bring the provisions of Haryana Panchayati Raj Act, 1994 in conformity with the provisions of the Constitution of India, it is necessary to fix the date of commencement of the term of five years of the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads from the date appointed for its first meeting.

Hence, this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 9th March, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 11–एच0एल0ए0

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 4 मई, 2020 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 3 का संशोधन ।

''(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् जब तक तत्समय लागू किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष के लिए बनी रहेगी और उसके बाद नहीं:

परन्तु संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से तुरन्त विद्यमान सभी ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समितियां उनके कार्यकाल की समाप्ति तक तब तक बनी रहेंगी जब तक सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती ।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पांच साल के कार्यकाल की शुरूआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9105—H.V.S.—H.G.P., Pkl.